

आज दिनांक 10.11.2023 को इस न्यायालय से सम्बन्धित नियत जमानत प्रार्थना पत्रों की सूची में वर्णित क्रमांक 01 से 07 तक श्री संजीव कुमार, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार तथा क्रमांक 08 से 12 तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा एवं क्रमांक 13 से 16 तक श्री राजू कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार निस्तारित किये जायेंगे :-

क्र० सं०	जमानत प्रार्थना पत्र संख्या	मु०अ०सं०	थाना	नाम पक्षकार	धारा	एडवोकेट
1	अ० 1245 / 23	115 / 23	लक्सर	अशरफ बनाम राज्य	420, 419, 467, 468, 471, 120वीं भा०द०सं०	श्री उत्तम सिंह चौहान
2	1206 / 23	1035 / 22	लक्सर	शिवम तिवारी बनाम राज्य	420 भा०द०सं० व 66डी आईटी एक्ट	श्री सलमान अहमद
3	1205 / 23	494 / 23	सिडकुल	जनक सिंह बनाम राज्य	363, 370, 120वीं भा०द०सं०	श्री प्रहलाद सिंह
4	द्वि. 1255 / 23	60 / 23	जीआरपी हरिद्वार	रविकान्त बनाम राज्य	397, 412 भा०द०सं०	श्री सागर वशिष्ठ
5	1253 / 23	291 / 23	पथरी	जावेद बनाम राज्य	307, 506, 34 भा०द०सं०	श्री सतीश चौधरी
6	1252 / 23	378 / 23	कनखल	दीपांशु बनाम राज्य	379, 411 भा०द०सं०	श्री संदीप कुमार
7	द्वि. 1254 / 23	60 / 23	जीआरपी हरिद्वार	मोनूपाल बनाम राज्य	397, 412 भा०द०सं०	सुश्री राजलक्ष्मी उपाध्याय
8	1257 / 23	531 / 23	झबरेडा	शहजाद आदि बनाम राज्य	136, 137 विद्युत अधिनियम	श्री सलमान अहमद
9	1258 / 23	531 / 23	झबरेडा	शहजाद आदि बनाम राज्य	136, 137 विद्युत अधिनियम	श्री सलमान अहमद
10	1259 / 23	531 / 23	झबरेडा	शहजाद आदि बनाम राज्य	136, 137 विद्युत अधिनियम	श्री सलमान अहमद
11	1256 / 23	420 / 23	हरिद्वार	विशाल बनाम राज्य	401 भा०द०सं०	श्री रजनीकान्त यादव
12	1250 / 23	370 / 23	हरिद्वार	अभिषेक उर्फ टोनू बनाम राज्य	401 भा०द०सं०	श्रीकृष्ण खन्ना
13	1231 / 23	474 / 23	पथरी	शहनावाज बनाम राज्य	380, 411 भा०द०सं०	श्री सादाब मंसूरी
14	1266 / 23	414 / 23	रानीपुर	सुमंत बनाम राज्य	379, 411 भा०द०सं०	श्री नीरज कुमार
15	1271 / 23	581 / 23	सिडकुल	सादान आदि बनाम राज्य	457, 380, 411, 34 भा०द०सं०	श्री नागेन्द्र सक्सैना
16	1268 / 23	581 / 23	सिडकुल	रविन्द्र बनाम राज्य	457, 380, 411, 34 भा०द०सं०	श्री नागेन्द्र सक्सैना

(सिकन्दर कुमार त्यागी)
जिला न्यायाधीश, हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्बन्धित अपर सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार।
2. अध्यक्ष/सचिव, वार एसोसिएशन, हरिद्वार।
3. जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी/ सिविल, हरिद्वार।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/संदर मुसरिम, जिला जजी, हरिद्वार।
5. आदेश की प्रति जिला वार रूम के बाहर नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये।
6. जिला न्यायालय, हरिद्वार की वेबसाईट हेतु।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रशासनिक कार्यालय,
जिला न्यायालय, हरिद्वार।